

## वधि अधिकारियों की नयुक्तियों में आरक्षण से अधिक योग्यता को प्राथमिकता

### प्रलिस के लिये:

[अनुच्छेद 16\(4\)](#), भारत में आरक्षण, [अनुच्छेद 16\(1\)](#), समानता का अधिकार, [अनुच्छेद 14](#), अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक, मद्रास उच्च न्यायालय, उबेरमा फाइडेस, महाधिवक्ता

### मेन्स के लिये:

आरक्षण नीति और सामाजिक समानता पर इसके नहितार्थ

[स्रोत: द हट्टि](#)

### चर्चा में क्यों?

हाल ही में [मद्रास उच्च न्यायालय](#) ने फैसला सुनाया कि वधि अधिकारियों की नयुक्ति में आरक्षण के नियम का पालन करने की आवश्यकता नहीं है।

- न्यायालय ने कहा कि ऐसी नयुक्तियों के लिये योग्यता ही एकमात्र मानदंड होनी चाहिये क्योंकि सरकार न्यायालयों के समक्ष अपने प्रतिनिधित्व के लिये केवल सबसे कुशल और सक्षम वकीलों को नयुक्त करने के लिये बाध्य है।

### फैसले के मुख्य बट्टि क्या हैं?

- वधि अधिकारियों की नयुक्ति में महिलाओं, [अनुसूचित जाति](#), [अनुसूचित जनजाति](#) और [अल्पसंख्यकों के लिये पारदर्शिता](#) तथा पर्याप्त प्रतिनिधित्व पर ज़ोर देने वाली 2017 में दायर एक जनहति याचिका को खारज़ि करते हुए यह फैसला सुनाया गया।
  - याचिकाकर्ता ने इस बात पर प्रकाश डाला कि [मद्रास उच्च न्यायालय](#) के वधि अधिकारियों की नयुक्ति [ऊर्ध्वाधर](#) और [कषैतजि](#) आरक्षण प्रदान करने में वफिल रही है।
- [डविज़न बेंच](#) ने कहा है कि एक वकील और उसके मुक्कल के बीच का रश्ति अत्यधिक विश्वास एवं भरोसे का होता है तथा यह [उबेरमा फाइडेस](#) के सदिधांत द्वारा शासति होता है।
  - सरकार और वधि अधिकारियों के मध्य का रश्ति पूरी तरह पेशेवर है, न कि भालिक और नौकर का।
- वधि अधिकारियों को कसि सविलि पद पर नयुक्त नहीं कथिा जाता है और न ही वे सरकार के कर्मचारी हैं। इसलिये यह नहीं माना जा सकता कि सरकार द्वारा वधि अधिकारियों की नयुक्ति करते समय आरक्षण प्रदान कथिा जाना आवश्यक है।
- न्यायालय ने सुझाव दथिा कि आवेदनों के लिये निर्मितरण समावेशी होना चाहिये, ताकि सरकार वधिकि अधिकारियों के रूप में अत्यधिक सक्षम और मेधावी वकीलों का चयन कर सके।
- [उबेरमा फाइडेस का सदिधांत](#):
- [उबेरमा फाइडेस का सदिधांत](#) एक लैटनि वाक्यांश है जसिका अनुवाद "अत्यंत सद्भावना" (utmost good faith) है। इसमें वकील से ग्राहक के सर्वोत्तम हति में कार्य करने की अपेक्षा की जाती है।

### सार्वजनकि रोज़गार में आरक्षण से संबंधति नयिम/नरिणय क्या हैं?

- कार्मकि और प्रशकिषण वभिग (DoPT) द्वारा वर्ष 2021 में जारी कार्यालय ज़्यापन के अनुसार, आरक्षण का नयिम 45 दिनों से कम समय वाली नयुक्तियों को छोड़कर [संवदिात्मक](#) और [अस्थायी नयुक्तियों पर भी लागू](#) कथिा जाना चाहिये।
- [इंदरा साहनी मामले, 1992](#) में [सर्वोच्च न्यायालय](#) ने नरिणय सुनाया कि कुछ [सेवाओं और पदों](#) के लिये आरक्षण प्रदान करना कर्त्तव्यों के प्रदर्शन के लिये उचति नहीं हो सकता है।
  - वधिकि अधिकारी का पद एक ऐसा पद है जसि आरक्षण के नयिम से मुक्त रखा जाना चाहिये।
- वर्ष 2022 में न्यायमूर्त्ति [नागेश्वर राव](#), [संजीव खन्ना](#) और [बी.आर. गवई](#) ने एक नरिणय में इस बात पर ज़ोर दथिा कि राज्य सरकारों को SC और ST से संबंधति उम्मीदवारों की पदोन्नति के लिये आरक्षण नीतियों को उचति ठहराने हेतु [आकलन योग्य डेटा](#) प्रदान करना

चाहिये।

- न्यायालय ने राज्य प्राधिकारियों को **SC/ST** उम्मीदवारों को बढ़ावा देने के अपने नरिण्यों का एक ठोस और आकलन योग्य साकष्य के साथ समर्थन करने की आवश्यकता को बरकरार रखा।

■ **भारत में आरक्षण को नरिंतरति करने वाले संवैधानकि प्रावधान:**

- संवैधान के **अनुच्छेद 15(4)** और **16(4)** राज्य तथा केंद्र सरकारों को **SC** एवं **ST** के सदस्यों के लिये सरकारी सेवाओं में सीटें आरक्षण करने में सकषम बनाते हैं।
- संवैधान के **81वें संशोधन अधनियम, 2000 में अनुच्छेद 16 (4B)** शामिल किया गया, जो राज्य को एक वर्ष की अधूरी रक्तिरियों को भरने में सकषम बनाता है जो कि अगले वर्ष में SC/ST के लिये आरक्षण है, जिससे उस वर्ष रक्तिरियों की कुल संख्या पर 50% आरक्षण की सीमा समाप्त हो जाती है।
- **संवैधान के अनुच्छेद 335** में कहा गया है कि प्रशासन कार्यपटुता बनाए रखने की भावना के अनुसार **अनुसूचति जातियों** और **अनुसूचति जातियों** के सदस्यों के दावों का ध्यान रखेगा।

• **महाधविक्ता:**

- भारत के संवैधान के अनुच्छेद 165 के तहत प्रत्येक राज्य का राज्यपाल, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नयुक्त होने के लिये अरहति किसी व्यक्ती को राज्य का महाधविक्ता नयुक्त करेगा।
- भारत में महाधविक्ता राज्य का उच्च वधि अधिकारी होता है।
  - उसके पास राज्य के भीतर किसी भी न्यायालय में खुद को पेश करने का **पूर्ण अधिकार** है।
  - उसके पास राज्य वधिानमंडल अथवा राज्य वधिानमंडल द्वारा शुरू की गई किसी भी समत्तिकी कार्यवाही में **मतदान के वशिषाधिकार का अभाव** है। हालाँकि उसके पास **बोलने तथा इन कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार** बरकरार है।

## UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

**??????:**

प्रश्न. नमिनलखिति कथनों पर वचिार कीजयि: (2022)

1. भारत का महान्यायवादी और भारत के सॉलसिटिर जनरल ही सरकार के एकमात्र अधिकारी हैं जनिहें भारत की संसद की बैठकों में भाग लेने की अनुमत्ति है।
2. भारत के संवैधान के अनुसार, भारत का महान्यायवादी अपना त्यापत्र दे देता है, जब वह सरकार जसिने उसको नयुक्त किया था, इस्तीफा देती है।

उपरयुक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: d

**??????:**

प्रश्न. क्या राष्ट्रीय अनुसूचति जाति आयोग (NCSC) धार्मकि अल्पसंख्यक संस्थानों में अनुसूचति जातियों के लिये संवैधानकि आरक्षण के क्रयिान्वयन का प्रवर्तन करा सकता है? परीक्षण कीजयि। (2018)